विधान परिषद् के द्वितीय सत्र-2025 के प्रथम गुरूवार हेतु निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-8 का उत्तर :-

	प्रश्न		उत्तर
8	(क) क्या आयुष मंत्री बतायेंगे कि मानक सेवा नियमावली-2014 अधिसूचना सं0वि0वे0नि0 प्रोष्ठ 189/दस-2014-11-2013 लखनऊ दिनांक 22.09.2014 के क्रम में आयुर्वेद यूनानी व होम्योपैथ विभाग में कब से लागू है?		वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-वि0वे0नि0 (प्रकोष्ठ) 189/दस-2014-11-2013, दिनांक 22 सितम्बर, 2014 द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली, 2014 आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी विभाग में तद्दिनांक 22 सितम्बर, 2014 से लागू है।
	(ख) क्या उक्त निदेशालय में 15 वर्षों से ज्यादा समय से कार्यरत कार्यालय सहायकों का स्थानान्तरण न किया जाना सरकार की घोषित स्थानान्तरण नीति के विरूद्ध है?		जी नहीं। निदेशालय (आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी) में कार्यरत कार्यालय सहायकों (लिपिक संवर्ग) का स्थानान्तरण कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-1/2025/119/सामान्य/सैंतालीस-का-4-2025-1/3/96, दिनांक 06 मई, 2025 के आलोक में किया गया है तथा निदेशालय में कार्यरत कार्यालय सहायकों (लिपिक संवर्ग) का पटल परिवर्तन भी समय-समय पर नियमानुसार किया जाता रहा है।
	(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?		उपर्युक्तानुसार।

डा0 दयाशंकर मिश्र "दयालु"
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)